

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आब्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
437/2024

दायर दिनांक  
09.07.2024

निर्णय दिनांक  
22.07.2024

उनवान

1. जमनी पत्नि गोपी गुर्जर निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. किशन पिता गोपी गुर्जर निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. सुखा पिता गोपी गुर्जर निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. शरीफ मो० पिता गफुरबक्ष मुसलमान निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. बालचन्द्र पुत्र कस्तुर खटीक निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. कंकू पत्नि स्व० लक्ष्मण नाई निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
4. गोमा पुत्र मांगू नाई निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. छीतर पिता हजारी नाई निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
6. देवा पिता मांगू नाई निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
7. बद्री पिता मांगू नाई निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
8. भेरूलाल पिता लक्ष्मण नाई निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
9. भंवर पिता हजारी नाई निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
10. मंजू पुत्री प्यारा नाई निवासी भोपालगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी मांगीलाल सेन

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भोपालगढ़ प०ह० भोपालगढ़ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 229 की अभिलिखित आराजियात 1498/1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3794 हैक्टेयर व खाता संख्या 38 की अभिलिखित आराजियात 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1690, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1710, कुल किता 26 कुल रकबा 10.9758 भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पड़ोसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर

Abhad

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा


अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर रथाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा भोपालगढ़ प0ह0 भोपालगढ़ भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 229 की अभिलिखित आराजियात 1498/1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3794 हैक्टेयर व खाता संख्या 38 की अभिलिखित आराजियात 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1690, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1710, कुल किता 26 कुल रकबा 10.9758 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(आब्दाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा